151

संख्याः- 1567 /VI(1)/2012-02(12)/2012

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 **देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर, 2012**

विषयः-जनपद चमोली के पर्यटक आवास गृह गैरसैण के पुनरूद्धार किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-186/2-6-147/2012-13, दिनांक 28 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के पर्यटक आवास गृह गैरसैण के पुनरूद्धार किये जाने हेतु ₹ 16.02 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹ 15.86 लाख एवं अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत ₹ 0.16 लाख अर्थात कुल ₹ 16.02 लाख की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित धनराशि ₹ 25.00 लाख मे से ₹ 16.02 **(₹ सोलह लाख दो हजार मात्र)** को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

i. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

ii. **व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों व समय-समय पर निर्गत नियम/शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना हेतु आगणन में प्राविधानित अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत ₹ 0.16 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। अतएव जिन मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत है, के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाय।**

iii. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

iv. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

v. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक अवश्य कर लिया जाय।

vii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

viii. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

...2

ix. एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

x. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

xi. कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–589/XXVII(2)/2012, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S12102600062.....द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधु)
सचिव।

संख्याः– 1567 /VI(1)/2012–02(01)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
8– वित्त अनुभाग–2./बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।